

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) नैनीताल

शिक्षा भवन, भीमताल, नैनीताल।

आदेश सं०/प्रा०शि०/नियुक्ति/

204

/2021-22

दिनांक 08 अक्टूबर, 2021

:: नियुक्ति आदेश ::

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: प्रा०शि०/दो(2)/19061-75/148(18)/2018-19 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 एवं उत्तराखण्ड शासन के शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या-1149/XXIV(1)/2018-06/2016 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 (पंचम संशोधन) निहित प्राविधानों के अधीन जनपद के दुर्गम क्षेत्र के रा०प्रा०वि० में सहायक अध्यापक वेतनक्रम ₹ 35400-112400 लेवल-06 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति सं० पत्रांक/बेसिक-04/9651/प्रा०शि०-चयन (रा०प्रा०वि०)/2018-19 दिनांक 06 मार्च, 2019 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक: प्रा०शि०-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक वेतनक्रम ₹ 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	अभ्यर्थी का पता	जाति	नियुक्त विद्यालय का नाम	विषय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री नीरज काण्डपाल	श्री नन्दा बल्लभ काण्डपाल	24-12-1986	तुलसीनगर पालीशीट पो०आ० काठगोदाम हल्द्वानी, नैनीताल	सामान्य	रा०प्रा०वि०बलना ओखलकाण्डा	विज्ञानेत्तर
2	श्री स्त्रीमानन्द	श्री विशन चन्द्र	16-08-1996	टेड़ा रोड लखनपुर, रामनगर नैनीताल 244715	अनु० जा०	रा०प्रा०वि० कालाआगर ओखलकाण्डा	विज्ञान
3	श्री भुवन सिंह	श्री गोविंद सिंह	17-09-1990	ग्राम चुलेरासीम, पो०आ०-खीड़ा, तहसील चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा 263656	सामान्य	रा०प्रा०वि०ग्वगड़ा ओखलकाण्डा	विज्ञानेत्तर
4	श्रीमती मोनिका	श्री अरविंद कुमार	19-10-1986	451 संजय कॉलौनी आवास विकास पो०आ०भोटिया पड़ाव	अनु० जा०	रा०प्रा०वि० सुन्दरखाल कोटाबाग	विज्ञान

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या-903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस०एस०/2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी। नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस अथाव एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त

2/5

संस्थान से बी०एड० अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के ०२ वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में ०६ महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम(ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर अथवा फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

ह०/
(के०के०गुप्ता)


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
तददिनांक।

पृ०सं०/प्रा०शि०/नियुक्ति/ 2654-61

/2021-22

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. वित्त अधिकारी, प्रा०शि० नैनीताल।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से करते हुए सम्बन्धित की दो पत्रावली तैयार करलें तथा शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करें। अभ्यर्थी से मंगाये गये समस्त अभिलेख उनकी पत्रावली में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित की पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित विखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति निम्न अभिलेखों के साथ देना सुनिश्चित करें तथा उनकी अनुमति के उपरान्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।
(क) मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र।
(ख) अभ्यर्थी दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र जो ०६ माह से पूर्व का न हो।
(ग) समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।
(घ) विवाहित होने की स्थिति में एक ही पत्नी/पति होने सम्बन्धी घोषणा पत्र अथवा अविवाहित होने का घोषण पत्र।
(ङ) माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा किसी प्रकार का अभियोजन न चलाये जाने सम्बन्धी घोषण पत्र।
(च) किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में न होने का शपथ पत्र/शासकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
9. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।